बैंक की स्वयं की परिसंपत्तियाँ तथा प्राथमिक एवं संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रुप में रखी गयी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन हेतु मूल्यांककों को पैनल पर रखने के लिए संशोधित मार्गनिर्देश

1. मूल्यांककों को पैनल पर रखना

1.1.कार्पोरेट ऋणों हेतु मूल्यांककों को पैनल पर रखने हेतु कसौटी

मूल्यांकक

क) के पास परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने की व्यावसायिक अर्हता होनी चाहिए। लेखांकन/अभियांत्रिकी व्यावसायिकों वाले फर्म को आवश्यकता के आधार पर वरीयता दी जाएगी।

ख) को मूल्यांककों की संस्था के साथ तथा संपदा कर अधिनियम की धारा 34 एबी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

ग) मूल्यांककों के फर्म का पंजीयन कम से कम 5 वर्ष पुराना होना चाहिए।

घ) को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ऋण वसूली न्यायाधिकरण तथा उच्च न्यायालय के साथ मूल्यांकक के रुप में कार्य करनेवाली फर्म को वरीयता दी जाएगी।

ङ) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सौंपे गए कम से कम 10 कार्य सफलता से पूरे किए हुए होने चाहिए।

च) मूल्यांकक की फर्म तथा मूल्यांकक(कों)/सहायक मूल्यांकक(कों) में से प्रत्येक के पास पैन कार्ड होना चाहिए।

छ) को संबंधित उद्योग तथा मूल्यांकन किए जानेवाली परिसंपत्ति का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

ज) सीबीआई, सीरीयस फ्रॉड इन्विस्टिगेशन सेल तथा न्यायालय(यों) के पास जिनके विरुद्ध शिकायतें दर्ज हैं तथा किसी बैंक द्वारा काली सूची में डाले गए हैं,ऐ से मूल्यांकक पात्र नहीं हैं।

संपदा कर अधिनियम 1957 की धारा 34 एबी (नियम 8ए) के अंतर्गत मार्गनिर्देशों पर आधारित मूल्यांककों की अर्हता की मुख्य विशेषताएः

- **अचल परिसंपत्ति हेतुः**

  (कृषि भूमि, बाग़ानों, वनों, खानों, खदानों से अन्यथा)

  (क) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर अथवा शहर नियोजन में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए ।

  अथवा

  (ख) उसे किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रियल इस्टेट के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर होना चाहिए।

  अथवा

  (ग) उसके पास सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर अथवा शहर नियोजन के क्षेत्र में केंद्र सरकार के अंतर्गत उच्चतर सेवाएँ या पदों में भर्ती होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अर्हता होनी चाहिए।

- **कृषि भूमि के लिएः (** बागानों से अन्यथा)

  (क) वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक होना चाहिए।

  अथवा

  (ख) वह जिलाधीश, उप जिलाधीश, निपटान (सेटलमेंट) अधिकारी, भूमि मूल्यांकन अधिकारी, भूमि अभिलेख अधीक्षक, कृषि अधिकारी, पंजीयन अधिनियम,1908 (1908 का 16) के अंतर्गत रजिस्ट्रार या इसी तरह के कार्य करनेवाले समकक्ष पद के किसी अन्य अधिकारी के रुप में, सरकारी सेवा में पहले सेवारत व्यक्ति तथा पूर्वोक्त में से किसी एक या अनेक पदों पर कम से कम पाँच वर्षों की

कुल अवधि की सेवा देने के बाद ऐसी नियुक्ति से सेवानिवृत्त हुआ या त्यागपत्र दिया हुआ व्यक्ति होना चाहिए।

❖ **<u>कॉफी बाग़ान,चाय बाग़ान,रबड़ बाग़ान या जैसी भी स्थिति हो,इलायची बाग़ान</u>**

(क) वह कॉफी,चाय,रबड़ या इलायची बाग़ान जैसी भी स्थिति हो, के मालिक या प्रबंधक के रुप में कम से

कम पाँच वर्षों के लिए,इलायची के मामले में कम से कम चार हेक्टर या अन्य किसी बाग़ान के मामले में चालीस हेक्टर के बाग़ान क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए ।

अथवा

(ख) वह जिलाधीश, उप जिलाधीश, निपटान (सेटलमेंट) अधिकारी, भूमि मूल्यांकन अधिकारी, भूमि अभिलेख अधीक्षक, कृषि अधिकारी, पंजीयन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अंतर्गत रजिस्ट्रार या इसी तरह के कार्य करनेवाले समकक्ष पद के किसी अन्य अधिकारी के रुप में, सरकारी सेवा में पहले सेवारत व्यक्ति तथा पूर्वोक्त में से किसी एक या अनेक पदों पर कम से कम पाँच वर्षों की कुल अवधि की सेवा देने के बाद ऐसी नियुक्ति से सेवानिवृत्त हुआ या त्यागपत्र दिया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, जिनमें से कम से कम तीन वर्षों की अवधि ऐसे क्षेत्रों में हो जहां कॉफी, चाय, रबड़ या इलायची, जैसी भी स्थिति हो, व्यापक स्तर पर उगायी जाती हो।

❖ **<u>खान तथा खदानः</u>**

वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खनन में स्नातक होना चाहिए या उसके पास खनन के क्षेत्र में केंद्र सरकार के अंतर्गत उच्चतर सेवाएँ या पदों में भर्ती होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अर्हता और संपदा कर अधिनियम के अनुसार अन्य अर्हताएँ तथा अनुभव होना चाहिए।

❖ **<u>संयंत्र एवं मशीनरीः</u>**

(क) वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मेकनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए।

अथवा

(ख) उसे किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मशीनरी तथा संयंत्र के मूल्यांकन में स्नातकोत्तर होना चाहिए।

अथवा

(ग) उसके पास मेकॅनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में केंद्र सरकार के अंतर्गत उच्चतर सेवाएँ या पदों में भर्ती होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अर्हता और संपदा कर अधिनियम के अनुसार अन्य अर्हताएँ तथा अनुभव होना चाहिए।

1.2. रिटेल ऋणों हेतु मूल्यांकक को पैनल पर रखने के लिए कसौटीः

(क) मूल्यांकक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए; अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा नहीं है। पैनलबद्ध मूल्यांकक को वरीयता दी जाएगी यदि वह इनमें से किसी एक व्यावसायिक मूल्यांकक निकाय का सदस्य हो- इन्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूअर्स, इन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्वेयर्स, इन्स्टिट्यूशन ऑफ गर्वमेंट एप्रूव्ड वैल्यूअर्स, प्रैक्टिसिंग वैल्यूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द इंडियन इन्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूअर्स, सेंटर फॉर वैल्युएशन स्टडीज, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रॉयल इन्स्टिट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स, इंडिया चॅप्टर, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एप्रेजर्स, यूएसए(एएसए), एप्रेजल इंस्टिट्यूट, यूएसए।

(ख) मूल्यांकक सिविल इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर/शहर नियोजन (या उसके समकक्ष) में स्नातक होना चाहिए तथा डिग्री पूरी करने के बाद मूल्यांकन के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों तक काम करने का अनुभव उसके पास होना चाहिए।

(ग) पैनलबद्ध होने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के अंदर मूल्यांकक को, मूल्यांकन में 6 माहों का निर्धारित कोर्स पूरा करना चाहिए।

(घ) यदि मूल्यांकक के पास पूर्वोक्त शिक्षाविशेष का डिप्लोमा हो तो, डिप्लोमा पूरा होने के बाद मूल्यांकन के क्षेत्र में कम से कम 8 वर्षों तक काम करने का अनुभव उसके पास होना चाहिए।

(ड) यदि मूल्यांकक ने मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो उसे 2 वर्षों का संबंधित काम का अनुभव होना चाहिए।

(च) यदि मूल्यांकक रॉयल इन्स्टिट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स या अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एप्रेजर्स या एप्रेजल इंस्टिट्यूट का चार्टर्ड/व्यावसायिक सदस्य हो तो काम के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। इन संगठनों का सदस्य बनने की प्रक्रिया का, प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भाग होता है।

<u>कार्पोरेट ऋण तथा रिटेल ऋण दोनों हेतु समान कार्य अनुभव कसौटीः</u>

कार्पोरेट ऋण तथा रिटेल ऋण दोनों के मूल्यांककों को नीचे दिए गए अनुसार एकसमान आस्तियों के मूल्यांकन का अनुभव होना चाहिए।

मूल्य की श्रेणी	**मूल्यांकन करने हेतु कार्य का अनुभव**	**सौंपे गए मूल्यांकन कार्य हेतु संपत्ति का मूल्य**
ए	10 वर्ष तथा अधिक	कोई सीमा नहीं
बी	5 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्षों से कम	रु.25 करोड़ तक
सी	5 वर्षों तक	रु.1 करोड़ तक*

*मेट्रो शहरों के मामले में सीमा रु.3 करोड़ होगी।

यह निर्णय लिया गया है कि श्रेणी ए तथा बी के मूल्यांककों के लिए पैनल पर रखने की कार्रवाई प्रधान कार्यालय स्तर पर तथा श्रेणी सी के मूल्यांककों के लिए पैनल पर रखने की कार्रवाई यथा रु.1 करोड़ तक के

मूल्य की संपत्ति के मूल्यांकन के लिए (मेट्रो शहर के मामले में रु.3 करोड़), क्षेमप्र के कार्यालय स्तर पर एफजीएमएलसीसी में की जाएगी।

1.3. <u>पैनल पर रखने की प्रक्रिया</u>

यह निर्णय लिया गया है कि कार्पोरेट तथा रिटेल ऋण दोनों के मामलों में मंडलीय कार्यालयों में प्राप्त प्रस्ताव उनके द्वारा जेडएलसीसी की सिफारिशों सहित विधि विभाग, प्रधान कार्यालय/संबंधित क्षेमप्र कार्यालय को प्रेषित

किए जायेंगे।

ऐसा मूल्यांकक जिनके विरुद्ध सीबीआइ, सीरीयस फ्रॉड इन्विस्टिगेशन सेल तथा न्यायालय(यों) के पास शिकायतें

दर्ज हैं तथा किसी बैंक द्वारा काली सूची में डाले गए हैं ,पर विचार नहीं किया जाएगा ।

आवेदक मूल्यांकक को इस परिपत्र के अनुबंध-सी में निर्धारित वचनपत्र/शपथपत्र को प्रस्तुत करना होगा। जेडएलसीसी को, मूल्यांकक को पैनल पर रखने के अनुरोध की सिफारिश करते समय भारिबैं/आइबीए/विभिन्न बैंकों के साइट से इस तथ्य की जाँचपड़ताल कर पुष्टि प्रस्तुत करनी होगी ।

यदि मूल्यांकन किसी फर्म या कंपनी या अन्य कोई निकाय, जो विधि द्वारा सम्मत हो, द्वारा किया जा रहा हो तो ऐसे मामले में यह कसौटी प्राधिकृत व्यक्तियों पर लागू होगी जो फर्म/कंपनी आदि की ओर से मूल्यांकन रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। फर्म/कंपनी आदि से इस आशय का एक ऐसा वचनपत्र भी प्राप्त किया जाएगा कि उनकी ओर से मूल्यांकन रिपोर्ट उनके प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है एवं फर्म/कंपनी पर बाध्य है। (**रिटेल तथा कार्पोरेट ऋण दोनों पर लागू)**

▪ मूल्यांककों (श्रेणी ए तथा बी) को पैनल पर रखने के लिए प्रधान कार्यालय पर मनोनयन (एमपैनेलमेंट) समिति गठित की जाएगी जिसमें छह महाप्रबंधक शामिल होंगे। समिति के सदस्य मप्र (परिसंपत्ति), मप्र (ऋण अनुवर्तन), मप्र (विधि), मप्र (निरीक्षण) ,मप्र (ऋण) तथा मप्र (वि एवं ले) होंगे। पात्र मूल्यांकक, मनोनयन हेतु आवेदन मंडलीय कार्यालयों को प्रस्तुत करेंगे तथा कार्पोरेट एवं रिटेल ऋण दोनों के मामलों में, मं.का. उन्हें जेडएलसीसी की सिफारिशों सहित विधि विभाग, प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। विधि विभाग, मंडलीय कार्यालयों से आवेदन प्राप्त होते ही संवीक्षा/सत्यापन के बाद उन्हें मनोनयन समिति के सामने उसके अनुमोदन के लिए रखेगा। अनुमोदन के बाद विभाग, मनोनयन होने या न होने की सूचना मूल्यांककों को देने के लिए मंडलों को संबंधित जानकारी देगा। विभाग इन मामलों को निपटान हेतु मंडलों को भी भेजेगा। सरफेईसी मूल्यांककों को बैंक द्वारा पालन की जानेवाली एवं अनुमोदित वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार ही चयनित किया जाता रहेगा।

- ▪ समिति की बैठक का कोरम 3 सदस्यों का होगा।
- ▪ बैठक तिमाही में कम से कम एक बार या जब भी आवश्यक होगा आयोजित की जाएगी।
- ▪ बैंक मनोनयन के इच्छुक मूल्यांककों से पूरे वर्ष के दौरान आवेदन प्राप्त करता रहेगा।
- ▪ ऐसे सभी आवेदन निर्धारित फॉर्मेट (अनुबंध-ए/बी/सी में दिए गए संलग्न फॉर्मेट के अनुसार) में प्राप्त किए जायेंगे।
- ▪ आवेदन का फॉर्मेट सहजता से डाउनलोड किए जाने हेतु वेबसाइट पर हमेशा उपलब्ध रहेगा।
- ▪ जब भी आवश्यकता होगी तब कुछ मूल्यांककों को पैनल पर रखा जाएगा। एक बार पैनलबद्ध होने पर वह मूल्यांकक पैनल पर 5 वर्षों के लिए रहेगा जबतक कि उसे हटाया या डिसमिस नहीं किया जाता।
- ▪ सभी आवेदन संबंधित दस्तावेजों के साथ होने चाहिए जिससे कि शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अनुभव आदि का समर्थन हो सकें।
- ▪ पैनल पर रखे गए मूल्यांककों की सूची बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

आगे, चूँकि श्रेणी सी के मूल्यांककों का मनोनयन क्षेमप्र कार्यालय द्वारा किया जाएगा, श्रेणी सी के मूल्यांककों के मनोनयन के प्रस्ताव मंडलीय कार्यालय अपने संबंधित क्षेमप्र कार्यालयों को प्रस्तुत करेंगे। एफजीएमएलसीसी, संवीक्षा/सत्यापन के बाद श्रेणी सी के मूल्यांककों को पैनल पर रखेगा तथा मनोनयन होने या न होने की सूचना मूल्यांककों को देने के लिए मंडलों को संबंधित जानकारी देगा। क्षेमप्र कार्यालय उसकी सूची तिमाही आधारपर प्रधान कार्यालय के विधि विभाग को भी बैंक के वेबसाइट पर डालने हेतु प्रस्तुत करेगा।

1.4. मनोनयन की अवधि

मनोनयन की अवधि 5 वर्षों की होगी ।

1.5. स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता

बैंक द्वारा मनोनीत सभी मूल्यांककों को स्वतंत्रता, ईमानदारी तथा निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। उन्हें सभी मूल्यांकन कार्य स्वतंत्र मन से तथा किसी द्वारा प्रभावित हुए बिना करना चाहिए। पैनलबद्ध

मूल्यांकक को, मूल्यांकन का काम करनेवाले विभाग/प्रभाग में कार्यरत बैंक के किसी अधिकारी से संबंधित नहीं होना चाहिए।

2. मूल्यांककों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

2.1. मूल्यांककों द्वारा प्रदान की गयी सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा जेडएलसीसी द्वारा वार्षिक आधारपर या जब भी आवश्यक समझा जाए, तब की जाएगी।

2.2. सुझावों/सिफारिशों/जारी रखने/हटाए जाने की सूचना आदि सहित समीक्षा रिपोर्ट, श्रेणी ए तथा बी के मूल्यांककों के मामलों में मंडलों द्वारा तथा श्रेणी सी के मूल्यांककों के मामले में क्षेमप्र कार्यालयों द्वारा प्रधान कार्यालय के विधि विभाग को भेजी जाएगी।

2.3. विधि विभाग समीक्षा रिपोर्टों की जाँच करेगा और अपनी टिप्पणियों सहित इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने हेतु उन्हें मनोनयन समिति को भेजेगा।

2.4. श्रेणी सी के मूल्यांककों के लिए समीक्षा रिपोर्ट संबंधित क्षेमप्र कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी। एफजीएमएलसीसी क्षेमप्र कार्यालय स्तर पर मनोनयन समिति के रुप में कार्य करेगी।

3. मूल्यांककों का गैर-मनोनयन

धोखाधड़ी/घोर लापरवाही में शामिल तृतीय पक्ष संस्थाएँ जैसे मनोनीत वकील, अनुमोदित मूल्यांकक, सनदी लेखाकार आदि के नामों को, सतर्कता सूची में शामिल करने हेतु आइबीए को सूचित करने हेतु सतर्कता विभाग द्वारा जारी प्रक्रियागत मार्गनिर्देशों के ब्यौरे अनुबंध-डी में संलग्न हैं। इस संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा किए गए किसी परिवर्तन को सूचित किया जाएगा। सभी श्रेणियों यथा ए,बी,सी के मूल्यांककों के धोखाधड़ी/घोर लापरवाही के मामलों को आइबीए को सूचित करने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रधान कार्यालय के विधि विभाग को भेजा जाएगा।

4. अन्य मार्गनिर्देश

4.1. मूल्यांककों की सभी नियुक्तियाँ/मनोनयन इस दस्तावेज के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी उसके संशोधनों
के अनुसार होगा।

4.2. हर शाखा,मूल्यांककों के एक रजिस्टर का तथा उनके द्वारा शाखा में संचालित किए गए संपत्तियों के मूल्यांकन
के रिकॉर्ड का रखरखाव करेगी जिसमें शाखा द्वारा मूल्यांकक को किस तारीख को अनुरोध भेजा गया, मूल्यांकक
का नाम, उधारकर्ता के ब्यौरे, मूल्यांकन की जानेवाली संपत्ति के ब्यौरे, किस तारीख को मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त
हुई, संपत्ति का मूल्य तथा प्रदत्त फीस की राशि का समावेश होना चाहिए।

4.3. मूल्यांककों से उनके द्वारा प्रदत्त व्यावसायिक सेवाओं की प्रतिभूति के रुप में कोई प्रतिभूति जमा या अन्य कोई
क्षतिपूर्ति नहीं ली जाएगी।

4.4. मूल्यांककों की व्यावसायिक फीस/भुगतान उनके द्वारा बैंक को मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रस्तुति और बैंक द्वारा उनकी स्वीकृति के 45 दिनों के अंदर अदा किया जाना आवश्यक है।

4.5. इस दस्तावेज में बतायी गयी सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन बैंक द्वारा किया जाना आवश्यक है।

अनुबंध-ए

बैंक के साथ मूल्यांककों के मनोनयन हेतु आवेदन

प्रति

.....

.....

.....

दिनांकः.....

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं अचल संपत्तियों का (भूमि तथा बिल्डिंग/संयंत्र तथा मशीनरी) मूल्यांकक हूँ तथा मनोनयन हेतु आपके संगठन को आवेदन करना चाहता हूँ :

नामः.....

लिंगः..... जन्म तिथि..... आयुः.....

पताः.....

.....

.....

दूरभाष सं..... मोबाइल संख्याः.....

ई-मेलः..... फैक्सः.....

शैक्षणिक/व्यावसायिक अर्हताएँ :

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/संस्था/परीक्षा लेनेवाला निकाय	अर्हता	परिणाम की तारीख

मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुभव के वर्षों की संख्याः.....

(संदर्भ पत्र/मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतियाँ/किसी अन्य साक्ष्य के रुप में प्रमाण संलग्न करें)

पूर्ववर्ती नियोक्ता का नाम तथा पताः (यदि लागू हो)

.....

.....

.....

पूर्ववर्ती मनोनयन, यदि कोई हो, के ब्यौरे, तिथि/अवधि सहितः

.....

.....

.....

व्यावसायिक मूल्यांकक एसोसिएशन की सदस्यताः (नाम तथा सदस्यता संख्या)

.....

.....

.....

संपदा कर अधिनियम के अंतर्गत सीबीडीटी के साथ पंजीयनः (पंजीयन संख्या तथा तारीख)

.....

.....

आयकर विभाग की स्थायी खाता संख्याः(पैन).....

संदर्भः 1).....

2).....

3).....

उपर्युक्त जानकारी मेरे संपूर्ण ज्ञान के अनुसार सही है तथा यदि इसे गलत पाया गया तो मैं परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहूँगा ।

संलग्नः सभी प्रमाणपत्रों/साक्ष्य दस्तावेजों की साक्ष्यांकित प्रतियाँ

हस्ताक्षरः.....

.

नामः.....

अनुबंध-बी

मूल्यांककों के मनोनयन हेतु नियुक्ति के नियमों के फॉर्मेट

मनोनीत मूल्यांककों को बैंक निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त करेगाः

- कार्य का प्रारम्भ- बैंक द्वारा मूल्यांकक को नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद मूल्यांकक, मूल्यांकन कार्य को प्रारम्भ करेगा।
- मूल्यांकक की ड्यूटी- मूल्यांकक उपर्युक्त हैण्डबुक में बतायी गयी उसकी ड्यूटी को पूरा करेगा।
- बैंक अधिकारियों द्वारा सहायता- मूल्यांकक को उपर्युक्त हैण्डबुक में बतायी गयी सहायता प्रदान की जाएगी।
- गोपनीयता तथा गैर-प्रकटीकरण- मूल्यांकक किए जा रहे कार्य की गोपनीयता रखेगा तथा नियुक्ति पत्र जारी करनेवाले व्यक्ति से अन्यथा किसी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं देगा।
- मूल्यांकक इस बात का भी सुनिश्चय करेगा कि उसके संगठन के कर्मचारी भी गोपनीयता एवं गैर-प्रकटीकरण की नीति का पालन करेंगे ।
- मूल्यांकक नियुक्ति पत्र में सहमत हुए अनुसार निर्धारित समयावधि में सौंपा हुआ काम पूरा करेगा। यदि मूल्यांकक कार्य को स्वीकार करता है किन्तु तीन अनुस्मारकों के बाद भी उचित समय पर मूल्यांकन रिपोर्ट वितरित नहीं करता तो बैंक, मतभेद समाधान समिति द्वारा अधिनिर्णय के लिए, मामले की सिफारिश करने हेतु आवश्यक उपाय करेगा तथा इस बीच काम को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यांकक को नियुक्त करेगा।
- यदि मूल्यांकक कार्य को स्वीकार करता है किन्तु किसी वास्तविक कारण, संकट या आकस्मिकता के कारण वितरित करने की स्थिति में न हो तो वह बैंक को इसे सूचित करेगा और उसे कार्य को पूरा करने के लिए कुछ समय बढ़ाकर दिया जाएगा।
- मूल्यांकक, काम को किसी और उप-ठेकेदार को नहीं सौंपेगा और काम को स्वयं पूरा करेगा।
- बैंक तथा मूल्यांकक के बीच का सारा पत्राचार लिखित/ई-मेल से किया जाएगा।
- बैंक तथा मूल्यांकक के बीच किसी असहमति/ विवाद को सौहार्दता से न सुलझाए जाने की स्थिति में उसे बैंक की मतभेद समाधान समिति के पास भेजा जाएगा। ऐसा या तो बैंक या मूल्यांकक, किसी भी एक के द्वारा किया जा सकता है।

अनुबंध-सी

मनोनयन हेतु मूल्यांककों द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले वचनपत्र / हलफनामे का फार्मेट

वचनपत्र

मैं,..... पुत्र/पुत्री.....
एतद्वारा यह दृढ़तापूर्वक कहता एवं निवेदन करता हूँ कि

- मैं भारत का नागरिक हूँ।
- मुझे पहले कभी भी सेवा/नियुक्ति से हटाया/डिसमिस नहीं किया गया है।
- मुझे किसी अपराध हेतु दोषी नहीं ठहराया गया है तथा कभी भी जेल नहीं हुई है।
- मुझे कभी भी व्यावसायिक क्षमता में कदाचार का दोषी नहीं पाया गया है।
- मैं, अभुक्त दिवालिया नहीं हूँ।
- आयकर अधिनियम 1961,संपदा कर अधिनियम 1957 या उपहार अधिनियम 1958 के अंतर्गत किसी कार्रवाई से संबंधित किसी अपराध के लिए मुझे कभी दोषी नहीं ठहराया गया है।
- मेरी पैन कार्ड संख्या/सेवा कर संख्या..... है।
- मैंने आइबीए की "बैंक तथा एचएफआइ में रियल इस्टेट वैल्यूएशन के लिए कार्रवाई तथा मानक, नीति पर हैण्डबुक" को पढ़ा है तथा मैं उसमें सूचीबद्ध मनोनयन की सभी शर्तों को पूरा करता हूँ।
- मूल्यांकक के रुप में मनोनयन के लिए मुझे अपात्र बनानेवाली किसी घटना या प्रसंग के घटित होने पर उसकी जानकारी आपको देने का वचन देता हूँ।
- मैंने कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी, तथ्य तथा रिकॉर्ड को छिपाया या गुप्त नहीं रखा है एवं संपूर्ण तथा पूरा प्रकटीकरण किया है।

दिनांक:.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....

अनुबंध-डी

धोखाधड़ी / घोर लापरवाही में लिप्त थर्ड पार्टी इकाईयों अर्थात पैनल में शामिल वकील, अनुमोदित वैल्यूएर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आदि के नाम को सचेतिका सूची में शामिल करने हेतु भाबैंसं (आईबीए) को रिपोर्ट करने से संबंधित दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी मामलें की उभरती प्रवृतियों की समीक्षा करने के दौरान भारिबैं (आरबीआई) ने अवलोकित किया कि धोखाधड़ी मामलों की प्रवृति में वृद्धि हो रही है, विशेष रूप से जो मामलें खुदरा ऋणों से संबंधित है। भारिबैं (आरबीआई) द्वारा देखे गए ऐसी ही एक आश्चर्यजनक विशेषता यह है कि अनगिनत मामलों में थर्ड इकाईयों द्वारा संदिग्ध भूमिका निभायी गई है, जिससे बैंक की ऋण संस्वीकृति / संवितरण प्रक्रिया प्रभावित हुई है। धोखाधड़ी मामलों के अध्ययन से पता चला है कि थर्ड पार्टी इकाईयों यथा *बिल्डरों, गोदाम/शीतगृह मालिकों, मोटर/ट्रैक्टर डीलरों, ट्रैवल एजेंटों आदि* ने कर्जदारों के साथ मिलकर क्रेडिट निर्णयों / संवितरण को प्रभावित करने के लिए भ्रामक / विकृत आदानों अथवा नकली / हेर-फेर किया हुआ दस्तावेजों / स्टेटमेंट उपलब्ध कराएं हैं। भारिबैं (आरबीआई) ने सूचना दी है कि ऐसे मामलें में जबकि बैंकों को कर्जदारों के बारे में सावधान किए जाते हैं, फिर भी इन टीपीई को उनकी स्थिति के आधार पर न तो जिम्मेदार ठहराए जाते हैं और न ही इन्हें बैंक के लिए जोखिम के सम्भाव्य स्रोत के रूप में पहचान की जाती है।

इसी प्रकार, वित्तीय स्टेटमेंट्स अथवा प्रतिभूति के रूप में बैंकों को दिए गए अचल सम्पत्तियों के बारे में वकीलों, वैल्यूएर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आदि द्वारा जाली दस्तावेजों प्रदान करने / प्रमाणित करने / गलत अथवा असत्य सूचनाएं / कानूनी अभिमत देकर सुविधाएं दिलाते हुए पाए गए हैं। भारिबैं (आरबीआई) ने अवलोकित किया है कि जबकि कुछ निश्चित परिस्थितियों में थर्ड पार्टी इकाईयों के केवल भूल-चूक के कार्यों को यथार्थ चूक के रूप में माने जा सकते हैं, परंतु असंख्य अन्य मामलों में ये कार्य घोर / आपराधिक लापरवाही अथवा कर्जदारों से उनके द्वारा असामान्यतापूर्ण तरीके से गैर-कानूनी वित्तीय फायदा के बदले टीपीई की ओर से विचारशील दुर्भावनापूर्ण कार्यों का नतीजा है। यहां तक कि जिस पर बैंक का भरोशा हैं और प्रचलित माहौल में महत्वपूर्ण क्रेडिट निर्णय लिए जा रहे हैं, धोखाधड़ी में उनकी लिप्तता स्थापित होने के बावजूद भी ये पेशवर अन्य बैंकों के पैनलों में देखे गए हैं एवं गलत सूचनाएं अथवा जाली दस्तावेज अथवा असत्य / विकृत अभिमत अथवा रिपोर्ट प्रदान / प्रमाणित करना जारी रखें हैं। भारिबैं (आरबीआई) ने टीपीई के अनैतिक और धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के बारे में सदस्य बैंकों को पूर्व-चेतावनी देने तथा सावधान करने के उद्देश्य से बैंकों के तत्काल अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

- बैंकों को ऐसी थर्ड पार्टी इकाईयों के बारे में एक व्यवस्थित तरीके से आंतरिक डेटाबेस तैयार करना चाहिए और आपस में आदान-प्रदान कर इन डेटाबेसों का लगातार प्रयोग में लाना चाहिए।

- तत्पश्चात बैंकों को चाहिए कि वे धोखाधड़ी / घोर लापरवाही में लिप्त पेशेवरों सहित टीपी ईकाईयों का विवरण भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को भिजवाएं।

- भाबैंसं (आईबीए) को टीपी इकाईयों के नामों को भेजने से पहले बैंकों को चाहिए कि वे संबंधित टीपी इकाईयों के धोखाधड़ी / आपराधिक लापरवाही में लिप्त होने के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाए और टीपी इकाईयों को उनकी स्थिति को सुनने / स्पष्ट करने अथवा खुद को बचाव करने के लिए एक अवसर भी दिया जाए ।

- आईबीए द्वारा इन रिपोर्टों के आधार पर ऐसे टीपी इकाईयों की सचेतिका सूची तैयार कर समस्त बैंकों को इन लोगों के साथ काम करते समय यथोचित सावधानी बरतने हेतु भिजवाए जाएं।

इस संबंध में विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश संलग्न **अनुबंध-आईए से आईई** में है।

अनुबंध-आईए

<u>टीपीई को पैनल से हटाने हेतु विचार करने के लिए फोरम की स्थापना</u>

1.1 ***फोरम की संरचना***

बैंक को हुए नुकसान / धोखाधड़ी में लिप्त **थर्ड पार्टी इकाईयों** की भूमिका को मूल्यांकित करने के लिए 6 महाप्रबन्धकों को शामिल कर एक फोरम की स्थापना की जाए, जिसमें महाप्रबन्धक (विधि), महाप्रबन्धक (खुदरा ऋण), महाप्रबन्धक (ऋण निगरानी), महाप्रबन्धक (निरीक्षण एवं अंकेक्षण), महाप्रबन्धक (परिसर) और महाप्रबन्धक व सीवीओ होंगे। महाप्रबन्धक (विधि) समन्वयक के रूप में कार्य करेगें। यद्यपि अन्य सदस्य मूल्यांकन हेतु फोरम के समक्ष प्रस्तुत किसी भी मामलें में जांचकर्त्ता के रूप में कार्य नहीं करेगें। विधि विभाग का एक अधिकारी **सम्पर्क अधिकारी** के रूप में कार्य करेगें जो बैठक बुलाने, फोरम की ओर से उपयोगकर्ता विभागों को सूचना भेजने में को-ऑर्डिनेटर की सहायता तथा संबंधित विभिन्न कार्यों का निष्पादन करेंगें।

1.2 *फोरम*

फोरम बैठकों में 4 सदस्यों की एक कोरम होगी जिसमें सीवीओ एवं महाप्रबन्धक (ऋण निगरानी) की उपस्थिति अनिवार्य है।

1.3 *बैठकों की आवधिकता*

(क) जब कभी वे विभाग, जिसने टीपी इकाईयों की सेवाओं का उपयोग किया है / टीपी इकाईयों को पैनल में सूचीबद्ध किया है और वे धोखाधड़ी / नुकसान संबधी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करतें हैं जिसमें धोखाधड़ी करने वाले टीपी इकाईयों की लिप्तता के बारे में सबूत पर आधारित निष्कर्ष है, तो फोरम की बैठक बुलाई जाए।

(ख) संबंधित विभाग द्वारा सबूत-आधारित जांच रिपोर्ट जमा करने के 10 कार्य-दिवस के भीतर को-ऑर्डिनेटर द्वारा फोरम की बैठक बुलाई जाए।

(ग) बैठक की कार्यवाही को रिकॉर्ड की जाए और फाइल में भलीभांति सुरक्षित रखी जाए ताकि भावी तिथि को इसे तत्काल खोजना सम्भव हो सके।

1.4 उपयोगकर्ता विभाग द्वारा टीपीई की भूमिका पर जांच रिपोर्ट / व्योरा की प्राप्ति

सामान्यतः, टीपीई की ओर से बैंक को हुए नुकसान के लिए उनकी लिप्तता / घोर लापरवाही को दर्शाते हुए जांच रिपोर्ट को सर्वप्रथम सतर्कता विभाग, प्रधान कार्यालय को जमा की जाती है। तत्पश्चात, सतर्कता विभाग जांच रिपोर्ट से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर टीपीई की भूमिका का विवरण/ लिप्तता / पेशेवर कदाचार/घोर लापरवाही के बारे में संबंधित विभाग को सूचित करता है। विकल्प तौर पर, उपयोगकर्ता विभाग मंडलीय कार्यालय से जांच रिपोर्ट की मांग कर सकता है अथवा वे किसी भी स्रोत से कोई परिवाद/सूचना के प्राप्त होने पर टीपीई की लिप्तता / आचार / घोर लापरवाही के संबंध में जांच करवा सकता है।

1.5 फोरम का कार्य

(क) संबंधित उपयोगकर्ता विभाग से टीपीई / पेशेवर कदाचार/ घोर लापरवाही की धोखाधड़ी / बैंक को नुकसान पहुचाने में लिप्तता संबंधी व्योरा सहित जांच रिपोर्ट / अथवा सूचना प्राप्त करना।

(ख) संबंधित उपयोगकर्ता विभाग को संबंधित टीपीई की धोखाधड़ी में लिप्त/पेशेवर कदाचार/घोर लापरवाही के बारे में उनकी लिखित रूप में स्पष्टीकरण मांगने के लिए निदेश देना ताकि संबंधित टीपीई को आरोप के सापेक्ष अपने मामले को रखने के लिए एक अवसर प्रदान किया जा सके।

(ग) टीपीई से प्राप्त जवाब पर चर्चा और मूल्यांकन कराना तथा यदि आवश्यक हो, पुनर्स्पष्टीकरण की मांग करना।

(घ) धोखाधड़ियों में टीपीई की लिप्तता/ पेशेवर कदाचार / घोर लापरवाही अथवा अन्य कुछ का तय करना।

(ङ) 'सचेतिका सूची' में टीपीई के नामों को शामिल करने हेतु अनुशंसा करना तथा आगे आईबीए को सूचित करने हेतु संबंधित उपयोगकर्ता विभाग को अग्रेषित करना।

(*लिप्तता के विचारार्थ टीपीई को उनके कार्य के बचाव में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि फोरम मामले की गम्भीरता पर आधारित विषय में मामले को विशिष्ट मान सकता है।)

2.1 टीपीई की लिप्तता मूल्यांकन और आईबीए को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया

(क) जांच रिपोर्ट में प्रत्येक मामले में स्पष्ट तौर पर बताया जाए कि क्या संबंधित टीपीई का क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया में योगदान है और क्या उनका योगदान वास्तविक था या दुर्भावनापूर्ण था अथवा क्या संबंधित टीपीई का घोर लापरवाही था। रिपोर्ट में टीपीई और धोखधड़ी / पेशेवर कदाचार/घोर लापरवाही में उनकी लिप्तता की सीमा का व्योरा होना चाहिए।

(ख) जांच रिपोर्ट सामान्य तौर पर मंडलीय कार्यालय अथवा अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा सतर्कता विभाग को भेजी जाती है। अतः, सतर्कता विभाग धोखाधड़ी में संबंधित टीपीई की लिप्तता भूमिका अथवा उनका पेशेवर कदाचार / घोर लापरवाही जिसकी वजह से बैंक को नुकसान हुआ, के विवरण से संबंधित उपयोगकर्ता विभाग को सूचित करेगें।

(ग) उपयोगकर्ता विभाग जांच रिपोर्ट मंडलीय कार्यालय अथवा अन्य प्राधिकारी से भी प्राप्त कर सकता है अथवा इस कारण प्राप्त शिकायत/सम्प्रेषण के आधार पर इस विषय में अपनी ओर से भी जांच करा सकता है।

(घ) सतर्कता विभाग, प्रधान कार्यालय/अन्य प्राधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट में टीपीई की भूमिका के व्योरे की जांच के बाद उपयोगकर्ता विभाग इस मैटर को विवरण/जांच रिपोर्ट सहित आईबीए के पास सचेतिका सूची में संबंधित टीपीई के नाम को शामिल करने के विचारार्थ फोरम को सूचना भेजेगें।

(ङ) फोरम जांच रिपोर्ट/धोखाधड़ी/घोर लापरवाही में टीपीई की भूमिका की जांच करेगा, जिसकी वजह से बैंक को नुकसान हुआ है।

(च) यदि टीपीई की लापरवाही/घोर लापरवाही का मामला पृथक पाया जाता है, तो सचेतिका सूची में टीपीई के नाम को शामिल करने की वांछनीयता पर विचारणीय दृष्टि रखी जाएगी। यदि पृथक मामलों में टीपीई की दुर्भावनापूर्ण इरादे लिप्त /स्थापित नहीं होता है, तो उनका नाम सचेतिका सूची में शामिल करने हेतु सूचना भेजना उचित नहीं है।

(छ) यदि फोरम के विचार से संबंधित टीपीई के इरादें दुर्भावनापूर्ण अथवा घोर लापरवाहीपूर्ण है, तो फोरम संबंधित उपयोगकर्ता विभाग को उस टीपीई के कार्य अथवा पेशेवर व्यवहार के लिए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए पत्र लिखने को कह सकता है।

(ज) उपयोगकर्ता विभाग द्वारा संबंधित टीपीई को उसके द्वारा पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर जवाब / स्पष्टीकरण जमा कराने के लिए कहा जाए।

(झ) यदि टीपीई अपने कार्य एवं पेशेवर व्यवहार को स्पष्ट करते हुए जवाब संबंधित उपयोगकर्ता विभाग को भेजता है, तो संबंधित उपयोगकर्ता विभाग अपनी टिप्पणी सहित इसे फोरम को प्रेषित करेंगे।

(ञ) टीपीई का जवाब/स्पष्टीकरण संबंधित उपयोगकर्ता विभाग की टिप्पणी सहित प्राप्त होने पर को-ऑर्डिनेटेर द्वारा तत्काल फोरम की बैठक बुलाई जाए और आरोपों पर टीपीई द्वारा जमा की गई जवाब / स्पष्टीकरण की जांच तथा चर्चा करांए।

(ट) यदि टीपीई के जवाब / स्पष्टीकरण के जांचोपरांत फोरम के सदस्यों को लगता है कि टीपीई द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तर्कसम्मत एवं स्वीकारयोग्य है, तो फोरम के सदस्य इस बात को संबंधित उपयोगकर्ता विभाग को अवगत कराएंगे। समस्त कार्यवाही की रिकॉर्ड फोरम द्वारा रखी जाएगी। तत्पश्चात, उपयोगकर्ता विभाग फोरम के निर्णयों को व्यक्त करते हुए टीपीई को पत्र भेजेंगे।

(ठ) यदि फोरम के सदस्यों को दर्ज साक्ष्यों के आधार पर टीपीई का स्पष्टीकरण स्वीकार्ययोग्य नहीं लगता है, तो वे उस टीपीई के नाम को आईबीए की सचेतिका सूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा करेंगे और तदनुसार संबंधित उपयोगकर्ता विभाग को उस टीपीई के नाम को सचेतिका सूची में जोड़ने के लिए रिपोर्ट करने की सलाह देंगे।

(ड) फलतः, संबंधित उपयोगकर्ता विभाग आईबीए को टीपीई के नाम को आईबीए द्वारा निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-आईएफ) पर फोरम के सलाह के अनुपालन के प्रतीक में फोरम को सूचित करते हुए आईबीए को रिपोर्ट भेजेंगे। इस निर्णय को उपयोगकर्ता विभाग द्वारा लिखित सम्प्रेषण के रूप में संबंधित टीपीई को अवगत कराया जाएगा।

(ढ) फोरम संबंधित उपयोगकर्ता विभाग से प्राप्त सभी सन्दर्भों/अंतिम निर्णयों तथा निर्णय/सलाहों के विभाग द्वारा अनुपालन से संबंधित रिकॉर्ड रखेंगे।

(ण) बैंक की ओर से आईबीए की सचेतिका सूची में टीपीई के नामों को शामिल करने के लिए की गई कार्रवाई पेशेवर नियामक निकायों / संबंधित विशेषज्ञ टीपीई (अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया आदि) के पास बैंक के इस मैटर को उठने तथा उनके खिलाफ, यदि आवश्यक हुआ, प्राथमिकी दर्ज कराने की सम्भावनाओं से मुक्त होनी चाहिए।

(त) संबंधित उपयोगकर्ता विभाग सचेतिका सूची में टीपीई के नामों को शामिल करने के लिए आईबीए को सूचना भेजेने के पश्चात टीपीई के केन्द्रीयकृत डेटाबेस को बरकरार रखते हुए उसमें आवश्यक अद्यतन करते रहेंगे।

अनुबंध-आईबी

<u>सचेतिका सूची में शामिल करने के लिए टीपीई के नामों का प्रेषण</u>

थर्ड पार्टी इकाईयों (टीपीई) की परिभाषा

थर्ड पार्टी इकाई, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वे समूह हैं जिसे संगठन या गैर-संगठन के रूप में बैंक द्वारा अथवा बैंक के ग्राहक / एजेंटों द्वारा उनके उत्पाद / सेवा / विशेषज्ञता के लिए उपयोग में लाया जाता है एवं जिसके आधार पर ये इकाईयाँ अपने उत्पाद बेचेते हैं/सेवाएं उपलब्ध कराते हैं/अभिमत देते हैं / स्टेटमेंट की सटीकता/परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन/संपत्तियों के स्वामित्व आदि को प्रमाणित करते हैं। बैंकों द्वारा इन कागजातों / अभिमतों / प्रमाणन के आधार पर ग्राहकों के साथ वित्तीय लेन-देन में जाने का निर्णय लिया जाता है। लेन-देन का संबंध बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किए गए किसी भी सेवा से हो सकता है। उदाहरणस्वरूप बिल्डरों, गोदाम / शीतगृह के मालिकों, ट्रैक्टर / कार डीलरों, उपकरण विक्रेताओं, ट्रेवल एजेंटों, वकीलों, सनदी लेखाकारों, सम्पत्ती वैल्यूरों आदि।

थर्ड पार्टी इकाईयों की पहचान तथा डेटाबेस का निर्माण

बैंक में अनेक विभाग टीपीई की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है। अतः, सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी थर्ड पार्टी इकाईयों की **केन्दीकृत डेटाबेस** सम्पूर्ण विवरण सहित यथा **एजेंसी का नाम, भागीदारों/मालिकों/निदेशकों के नाम, पंजीकरण संख्या, यदि प्रयोज्य हो, पता और स्थायी खाता संख्या (पैन)** संबंधित उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सुरक्षित रखा जाए। जबकभी उपयोगकर्ता विभाग किसी टीपीई की सेवाओं का उपयोग करना चाहते है, सर्वप्रथम वे इस डेटाबेस को देखें। साथ ही, जब कभी किसी विभाग द्वारा किसी नए टीपीई को काम पर लगाए जाते है, तो इस डेटाबेस के क्रास-चेंकिंग के बाद ही किया जाए। यह कार्य यथोचित कार्रवाई यथा संबंधित मानक प्रक्रिया के अनुरूप ही टीपीई की नियुक्ति करें/पैनल बनाएं। ज्योंहि एक टीपीई की नियुक्ति / उनका नाम सूची में शामिल की जाती है, टीपीई डेटाबेस को तदनुसार अद्यतन किया जाए।

टीपीई की सेवाओं का उपयोग

टीपीई की सेवाओं का उपयोग दो तरीके से की जाए यथा (क) अनुरक्षण आधार पर और (ख) तदर्थ अथवा एक-बारगी आधार पर।

(i) जब बैंक द्वारा एक टीपीई को अनुरक्षण के आधार पर काम पर लगाए जाते है, तो अनुबंध की शर्तों में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाए कि किसी लेन-देन में धोखाधड़ी की स्थिति में जहां कहीं बैंक ने टीपीई के अभिमत / प्रमाणन पर भरोसा किया है, उनकी भूमिका का मूल्यांकन करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित होंगे। यदि बैंक के धोखाधड़ी में टीपीई की लिप्तता अथवा सेवा प्रतिपादित करने में टीपीई की घोर लापरवाही का पता चलता है, तो बैंक के पास टीपीई के नामों को ***'सचेतिका सूची'*** *में शामिल करने तथा इसे भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के द्वारा अन्य बैंकों को परिपत्रित* करने का अधिकार होगा।

(ii) जब बैंक या ग्राहक एकबारगी / तदर्थ आधार पर टीपीई की सेवाओं का उपयोग करते है, तो बैंक, टीपीई प्रमाणन/मूल्यांकन/सेवा अथवा उत्पाद कागजात को स्वीकार करने से पहले, टीपीई को लिखित में सूचित करें कि किसी लेन-देन में, जहां बैंक ने टीपीई के अभिमत अथवा प्रमाणन अथवा दस्तावेजीकरण पर भरोशा किया है, धोखाधड़ी की स्थिति में यदि बैंक को धोखाधड़ी में टीपीई की लिप्तता अथवा सेवा प्रतिपादित करने में घोर लापरवाही का पता चलता है, तो बैंक के पास 'सचेतिका सूची' में टीपीई के नाम को शामिल करने तथा आईबीए के द्वारा अन्य बैंकों को इसे परिपत्रित करने का अधिकार होगा।

(iii) उस टीपीई को, जो बैंक के साथ पहले से अनुरक्षण पर है, संबंधित उपयोगकर्ता विभाग द्वारा यह बताते हुए पत्र भेजा जाए कि यदि लेन-देन में धोखाधड़ी की सूचना मिलती है, जहां बैंक ने उसके अभिमत अथवा प्रमाणन अथवा सेवा पर भरोशा किया है, तो बैंक का अधिकार होगा कि वे उनकी भूमिका का मूल्यांकन करें। यदि टीपीई को इस व्यवस्था से कोई आपत्ति होती है और बैंक को बताते है, तो अनुरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जा सकती है।

पूर्वोक्त विषय में संबंधित टीपीई को संबोधित सम्प्रेषण में जोड़े जाने वाले खण्ड; अनुबंध-आईडी में तीन स्थितियां उपलब्ध कराए गए हैं।

(iv) वे टीपीई जिसका बैंक के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, परंतु जिसके साथ ग्राहक संबंध स्थापित किए हैं, जिसके आधार पर बैंक ने उस ग्राहक को वित्तपोषित किया है, बैंक संबंधित टीपीई को एक पत्र लिखकर आरबीआई के उस नए दिशानिर्देशों की सूचना दें, जो बैंक और ग्राहक को प्रभावित करने वाले किसी धोखाधड़ी के स्थिति में उस टीपीई को सचेतिका सूची में शामिल करने का अधिकार बैंक को देता है। उदाहरण के तौर पर ऐसे टीपीई बिल्डरों, ऑटो/ट्रैक्टर/कार/कृषि उपकरण/मशीनरी/उपभोक्ता उपयोग की वस्तुओं वाला डीलरों हो सकते है।

संबंधित टीपीई को प्रेषित की जाने वाली पत्र का प्ररूप अनुबंध-आईई में दिए गए हैं। आईबीए से सचेतिका सूची प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्रवाई।

आईबीए द्वारा सभी बैंकों को सचेतिका सूचियां भेजी जाएगी, जिसमें सचेतक सूची में शामिल टीपीई के व्योरे होंगे जो सदस्य बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई है।

(i) **सचेतिका सूची** के प्राप्त होने पर, सतर्कता विभाग इस सूची की प्रतियों को संबंधित उपयोगकर्ता विभाग (गों) को प्रेषित करेंगे।

(ii) संबंधित उपयोगकर्ता विभाग, इस सूची के मिलने पर, बैंक के डेटाबेस के साथ नामों का मिलान करें अथा सचेतिका सूची की डेटाबेस में टीपीई के नामों को जोड़ें, यदि सूची में नाम पहले से जोड़ी नहीं गई है।

(iii) यदि आईबीए द्वारा भेजी गई सूची में वे टीपीई शामिल हैं जिसकी सेवा बैंक द्वारा पहले से ली जा रही है, तो सबंधित उपयोगकर्ता विभाग, जो इस डेटाबेस का रखरखाव कर रहे हैं, उस टीपीई द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा करें तथा उसे पैनल से हटाने हेतु कार्रवाई करें।

(iv) उपयोगकर्ता - विभाग द्वारा संबंधित टीपीई को भविष्य में काम पर लगाए जाने के खिलाफ सावधान करने हेतु निर्णय भी लिया जा सकता हैं।

(vi) यदि किसी कारणवश, बैंक का कोई विभाग टीपीई से, सचेतिका सूची में नाम होने के बावजूद, संबंध जारी रखना चाहता है, बैंक के सशक्त फोरम को यथोचित सूचना के तहत संबंधित विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

थर्ड पार्टी इकाई सचेतिका सूची का मिलान

(i) संबंधित सभी उपयोगकर्ता विभाग, जो डेटाबेस एवं **सचेतिका सूची** का रखरखाव कर रहे हैं, सभी टीपीई को शामिल करते हुए तैयार की गई आईबीए से प्राप्त ***व्यापक सचेतिका सूची*** से मिलान करेंगे।

(ii) सचेतिका सूची का मिलान करने के बाद बैंक द्वारा आईबीए को एक पुष्टिकरण भेजी जाए।

बैंक के खिलाफ सभी टीपीई अथवा उसके पेशेवर निकाय द्वारा किए गए कार्रवाई के विरूद्ध बैंक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

(i) टीपीई अथवा टीपीई के पेशेवर निकाय द्वारा बैंक के इस कार्रवाई के खिलाफ कानूनी सहयता की मांग किए जाने की स्थिति में, बैंक और आईबीए ऐसी कार्रवाई से बचाव के लिए संयुक्त रूप से एक होकर कार्य करें।

(ii) सचेतिका सूची से टीपीई के नाम को हटाने के लिए बैंक को किसी कानूनी प्राधिकारी से किसी निदेश प्राप्त होने की स्थिति में, संबंधित बैंक ऐसे निदेश के विरूद्ध अपील करने अथवा इसका अनुपालन के लिए निर्णय ले सकता हैं।

(iii) यदि बैंक अनुपालन करने का निर्णय लेता है, तो बैंक आईबीए को सूचित करें ताकि आईबीए टीपीई सचेतिका सूची से नाम को हटाने के बारे में अन्य बैंकों को अधिसूचना भेज सके।

अनुबंध-आईसी

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को संबोधित आरबीआई संप्रेषण का मुख्य अंश
सन्दर्भ परिपत्र डीबीएस.सीओ.एफआरएमसी.बीसी. सं. 3/23.08.001/2008-09 दिनांकित 16 मार्च, 2009

- आरबीआई द्वारा कराए गए धोखाधड़ी के हालिया विश्लेषण से पता चला कि कुछ मामलों, खास तौर पर खुदरा ऋण से संबंधित मामलों यथा आवास ऋण, गोदाम रसीद के सापेक्ष वित्तपोषण, डीलरों से कृषि औजार क्रय ऋण, वाहन ऋण और क्रेडिट कार्ड मामलों, में धोखाधड़ी की प्रवृत्ति बढ़ रही है ।

- आरबीआई द्वारा ऐसे अधिकतर मामलों में पाए गए आम लक्ष्ण थर्ड पार्टी इकाईयों यथा बिल्डरों, गोदाम/शीतगृह मालिकों, ट्रैक्टर/कार डीलरों, ट्रैवल एजेंटों, आदि के द्वारा निभाई गई संदिग्ध भूमिका है।

- इसी प्रकार, पेशेवरों जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, वैल्यूरों, आर्कीटेक्ट्स, वकीलों आदि द्वारा प्रस्तुत सूचना यथा घर निर्माण में प्रगति, संपत्तियों के शीर्षक की वैद्यता/विपणन योग्यता, आदि के पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आरबीआई ने पाया है कि जाली/संदिग्ध प्रमाण-पत्र देकर ये पेशेवर धोखेबाजों के साथ मिले हुए प्रतीत होते हैं।

- अतः, आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि ऐसे थर्ड पार्टी इकाईयों के बारे में एक व्यवस्थित तरीके से आंतरिक डेटाबेस का निर्माण करें और इस डेटाबेस को आपस में लगातार आदान-प्रदान करें।

- हालांकि, आरबीआई ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि बैंकों को डाटा आदान-प्रदान करने से पहले संबंधित थर्ड पार्टी इकाईयों की लिप्तता के बारे में खुद को आश्वस्त होने और उन्हें सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। बैंक को इसके लिए दस्तावेज प्रक्रिया का पालन जरूरी है तथा विषय को उचित रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

- आईबीए बैंकों द्वारा भेजे गए ऐसे टीपीई की सूचनाओं के आधार पर थर्ड पार्टी इकाईयों की सचेतिका सूची तैयार कर बैंकों को परिपत्रित करेंगे, ताकि बैंक ऐसी इकाईयों के साथ काम करते समय इस सूची प्रयोग कर सकें।

अनुबंध-आईडी

बैंक के साथ प्रत्यक्ष संविदा पर आधारित संबंध वाले टीपीई को सम्बोधित सम्प्रेषण में जोड़े जाने वाले खंड

(i) **टीपीई को नियमित आधार पर पेशेवर सलाह / सेवा प्रदान करने हेतु अनुरक्षक के रूप में शामिल करते समय:**

" आपका अभिमत / प्रमाणन हमारे निर्णय लेने के लिए इनपुट होगा। अतः, हम कहना चाहेंगे कि यदि आपका अभिमत / प्रमाणन असत्य होता है और तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है जिसके कारण बैंक का नुकसान होता है, तो हम ऐसे स्पष्टीकरण मांग कर सकते हैं जैसा कि विषय की जांच करने तथा जिम्मेदारी निर्धारण के लिए अपेक्षित होगी। यदि यह स्थापित हो जाता है कि आपकी ओर से घोर लापरवाही थी अथवा आपका हमारे ग्राहक के साथ मिलीभगत थी जिसके कारण बैक को आर्थिक क्षति / नुकसान हुआ है, तो हम आपके नाम को सदस्य बैंकों को परिपत्रित करने के लिए सचेतिका सूची, जिसे आईबीए द्वारा मैंटेन किया जाता है, में शामिल करने हेतु अनुशंसित कर सकते हैं । "

(ii) **टीपीई को एकबारगी / तदर्थ आधार पर पेशेवर सलाह / सेवा प्रदान करने हेतु अनुरक्षक के रूप में शामिल करते समय:**

"कृपया नोट करें कि आपका अभिमत / प्रमाणन बैंक द्वारा ..... में (विशेष उद्देश्य का जिक्र करें जिसके लिए टीपीई की सलाह / सेवा उपयोग में लायी गई) उपयोग किया जा रहा है। अतः, सूचित करना है कि यदि आपका अभिमत/ प्रमाणन असत्य निकलता है और तथ्यात्मक रूप से गलत, जिसकी वजह से बैंक को नुकसान होता है, तो विषय की जांच और जिम्मेदारी निर्धारण के लिए जब अपेक्षित होगी स्पष्टीकरण की मांग की जा सकती है। यदि यह स्थापित होता है कि आपकी ओर से घोर लापरवाही हुई है अथवा उपरोक्त पार्टी के साथ आपकी मिलीभगत थी, जिसके कारण बैंक को आर्थिक क्षति/ नुकसान हुई है, तो हम सदस्य बैंकों में परिपत्रण हेतु आईबीए के पास सुरक्षित सचेतिका सूची में आपका नाम शामिल करने के लिए हम अनुशंसित कर सकते हैं। "

(iii) **बैंक द्वारा बनाए गए पैनल में पहले से शामिल टीपीई और बैंक द्वारा उपयोग किए जा रहे उनकी सलाह / सेवा वाले टीपीई को प्रेषित की जाने वाली सम्प्रेषण:**

"कृपया हमारे पत्रांक ..... दिनांकित ..... जिसके द्वारा आपको ..... (कार्य / पैनलीकरण की प्रकृति को बताएं) के रूप में नियुक्त किया गया था। आपके अभिमत / प्रमाणन निर्णय लेने के लिए समय समय पर इनपुट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। हम सूचित करना चाहेंगे कि यदि आपक अभिमत / प्रमाणन असत्य और तथ्य में गलत निकलता है जिसकी वजह से बैंक को नुकसान होता है, तो विषय की जांच तथा जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए जब कभी अपेक्षित होगी इस संबंध में आपसे स्पष्टीकरण मांगी जाएंगी। यदि यह स्थापित होता है कि यह आपकी घोर लापरवाही थी अथवा आप हमारे ग्राहक के साथ मिलीभगत की थी जिसकी वजह से बैंक को आर्थिक क्षति / नुकसान हुई है, तो हम आरबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार सदस्य बैंकों में परिपत्रित करने हेतु आईबीए के पास सुरक्षित सचेतिका सूची में शामिल करने के लिए आपके नाम को अनुशंसित की जा सकती है। "

अनुबंध-आईई

अन्य थर्ड पार्टी इकाई यथा बिल्डरों/ भण्डार/शीत भण्डार मालिकों /ट्रैक्टर/कार डीलरों /उपस्कर विक्रेताओं /ट्रेवल स्जेंटों आदि को बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले पत्र

मेसर्स / श्री / श्रीमती / सुश्री.....
पता:.....

.....

प्रिय महोदय / महोदया,

हम मेसर्स / श्री / श्रीमती / सुश्री ..... को ..... (कृपया ब्योरा दें) क्रय करने के लिए ऋण देने का विचार कर रहे हैं।

हम नोट करते हैं कि उपरोक्त व्यक्ति आपसे घर / वाहन / उपस्कर / ..... अधिग्रहण कर रहे हैं। हमें सूचित करना है कि यदि लेनदेन से संबंधित संपत्ति / मदें विक्रय करार की शर्तों के अनुसार नहीं होता है अथवा यह स्थापित होता है कि ऋणी और आपस्वयं दोंनो की मिलीभगत से बैंक को नुकसान हुई है / नुकसान संभावित है, तो विषय की जांच करने के लिए जब- जब जरूरत होगी, ऐसे स्पष्टीकरण की मांग की जा सकती है। यदि यह स्थापित होता है कि बैंक को आर्थिक क्षति / नुकसान पहुँचाने के लिए आप हमारे ग्राहक के साथ आपकी मिलीभगत थी, तो हम आरबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार सदस्य बैंकों में परिपत्रित करने के लिए आईबीए के पास सुरक्षित सचेतिका में शामिल करने हेतु आपके नाम की अनुशंसा कर सकते हैं।

भवदीय,

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

अनुबंध-आईएफ

(बैंक के पत्र-शीर्ष पर)

सेवा में
मुख्य कार्यकारी,
भारतीय बैंक संघ,

गोपनीय

प्रिय महोदय,

धोखाधड़ी में लिप्त थर्ड पार्टी इकाईयां

भारतीय बैंक संघ को भारतीय रिजर्व बैंक के अपने परिपत्र डीबीएस.सीओ.एफआरएएमसी.बीसी.नं. 3/23.08.001/2008-09 दिनांकित 16 मार्च, 2009 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार थर्ड पार्टी इकाईयों के निम्नलिखित नाम प्रेषित की जा रही है:

क्र. सं.	थर्ड पार्टी इकाई का नाम	पंजीकृत कार्यालय, पता	पंजीकरण संख्या	मालिक /भागीदार /निदेशक का नाम	कारोबार का मुख्य कार्यक्षेत्र	कारोबार का कार्य-क्षेत्र जहां बैंक द्वारा टीपीई की सेवा ली गई	सचेतिका सूची में नाम रखने का कारण

हम पुष्टि करते हैं कि इस संबंध में ऊपर वर्णित आरबीआई परिपत्र और आईबीए द्वारा निर्देशित प्रक्रियागत दिशानिर्देशों में बताए अनुसार आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद उपरोक्त नामों को भिजवायी जा रही है। इस संबंध में पार्टी को आवश्यक सूचना तथा उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने / अपने कार्य की पुष्टि करने हेतु उचित मौका दी गई है।

भवदीय,

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)